

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 19 अगस्त, 2025

विषय-जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही पाइप पेयजल योजनाओं का डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड के माध्यम से प्रभावी अनुश्रवण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में शासनादेश संख्या- 34/2025/1564/छिहत्तर-1-2025-1739613 दिनांक 17 जून, 2025 द्वारा अवगत कराया गया था कि ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन एवं अनुरक्षण के अनुश्रवण के लिए एक पोर्टल <https://jjm.up.gov.in/site/home> विकसित किया गया है, तथा जनपदों हेतु डिस्ट्रिक्ट डैश बोर्ड (<https://jjm.up.gov.in/Districtdashboard>) पर सभी ग्रामों में स्थापित पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति तथा संचालन एवं अनुरक्षण का स्टेटस रियल टाइम में उपलब्ध है।

2- इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि डिस्ट्रिक्ट डैश बोर्ड में संबंधित जनपद में संचालित हो रही पाइप पेयजल योजनाओं में नियमित रूप से जलापूर्ति के संबंध में आ रही बाधाओं का विवरण उपलब्ध कराया जा रहा है और जिसे नियमित रूप से उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अधिकारियों द्वारा अपडेट किया जा रहा है, जिसमें विशेषकर ऐसी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं, जो नियमित विद्युत आपूर्ति न होने की वजह से बाधित हो रही हैं, विभिन्न विभागों यथा-पी.डब्ल्यू.डी., एन.एच.ए.आई. एवं अन्य विभागों द्वारा रोड कटिंग/रोड बाइंडिंग के कारण बाधित हो रही हैं, कतिपय व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से टुल्लू पम्प लगाकर पानी लेने की कारण, ग्रामीण जलापूर्ति के विभिन्न घटको(सोलर पैनल, बैटरी, टोटी आदि) की चोरी होने से प्रभावित हो रही हैं या अन्य कारणों से प्रभावित हो रही हैं, का विवरण पोर्टल/डिस्ट्रिक्ट डैश बोर्ड पर उपलब्ध रहता है।

3- उक्त के अतिरिक्त पाइप पेयजल योजनाओं में हो रही जलापूर्ति से संबंधित प्राप्त हो रही शिकायतों का विवरण भी डिस्ट्रिक्ट डैश बोर्ड पर उपलब्ध है। कृपया इसका संज्ञान लेते हुए इनका समुचित निराकरण कराकर नियमित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराये।

4- अतः कृपया उपरोक्तानुसार जनपद स्तर पर नियमित समीक्षा करते हुए ससमय प्रभावी निराकरण कराकर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित कराये तथा इस हेतु यथा आवश्यकता ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों का सहयोग लेते हुए आम जनमानस में जागरूकता एवं अन्य विभागों के सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता से ग्रामीण क्षेत्रों में मानक के अनुरूप नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करायें।

भवदीय,
Digitally signed by
ANURAG SRIVASTAVA
(अपर मुख्य सचिव)
Date: 19-08-2025
14:59:08
अपर मुख्य सचिव

संख्या-35/2025/2173(1)/छिहत्तर-1-2025-1739613, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (2) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- (3) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- (4) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।(द्वारा जिलाधिकारी)
- (5) समस्त अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे, उत्तर प्रदेश।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
OM PRAKASH CHAUHAN
(अपर मुख्य सचिव)
Date: 19-08-2025
15:03:15
अपर मुख्य सचिव।